न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

120/2014
...मएस : 2014/00077
सुरेन्द्र पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
निहालचन्द्र पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र श्री गंगाजल जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. दलीपकुमार पुत्र श्री गंगाजल जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।
3. पूराराम पुत्र श्री गंगाजल जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज।
4. रामराय पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोइ साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर— मृतक
   4/1 रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री रामराय जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर।
   4/2 गीतादेवी पुत्री स्व. श्री रामराय जाति बिश्नोई साकिन फकीरावाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.— मृतका
      4/2/1 मांगीलाल पुत्र स्व. श्रीमती गीता व श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन फकीरवाली तहसीहल पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
      4/2/2 रूकमा पुत्री स्व. श्रीमती गीता व श्री रामस्वरूप पत्नी श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन कोडीबंध (5 के.एन.डी.) तहसील घड़साना जिला अनूपगढ।
   4/3 राममूर्ति पुत्री स्व. श्रीरामराय पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई साकिन फकीरावाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
   4/4 विद्यादेवी पुत्री स्व. श्रीरामराय पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई साकिन 77 एल. एन. पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
   4/5 नत्थूराम पुत्र स्व. श्रीरामराय जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, जो बतौर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 32 पत्रावली पर पहले से ही मौजूद है।
   4/6 महावीर पुत्र स्व. श्रीरामराय जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गंगाजल पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।— मृतक
   5/1 दुलीचन्द्र
   5/2 श्रवणकुमार
   5/3 प्रभु कुमार
   5/4 दलीपकुमार
   5/5 पूराराम
   5/6 बिस्पतराम

   पुत्रगण स्व. श्री गंगाजल जाति बिश्नोई निवासीयान बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज
   नोटः— श्रवण कुमार व दुलीचन्द ... तरतीबी प्रतिवादी सं. 33 व 34 पहले ... पत्रावली पर मौजूद है।
   5/7 सोमादेवी पुत्री स्व. श्री गंगाजल पत्नी श्री ... बिश्नोई साकिन सलुण्डिया तहसील नोखा जिला बिकानेर राज।
   5/8 विमला देवी पुत्री स्व. श्री गंगाजल पत्नी श्री ... जाति बिश्नोई निवासी घटटू तहसील नोखा जिला बीकानेर राज.।
   5/9 बंशा देवी पुत्री स्व. श्री गंगाजल पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई साकिन कुचेरा (अगुणी) तहसील नोखा जिला बिकानेर राज.।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

5/10 कमला देवी पुत्री स्व. श्री गंगाजल पत्नी श्री राजेन्द्र जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा ढाणी (1 टी.के.) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.

...नी पुत्री श्री रामरख पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज।– मृतक

6/1 गिरदावरी पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 64 एल.एन.पी.

6/2 बिरखा पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्री इन्द्राज जाति बिश्नोई साकिन हाल राजकीय अस्पताल परिसर केंटीन, श्रीगंगानगर।

6/3 पंजादेवी पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्री दुलाराम जाति बिश्नोई साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।

6/4 गीतादेवी पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्रीरामकिसन जाति बिश्नोई लालेवाला तहसील पदमपुर।

6/5 इन्द्राज पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोइ साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर–मतृक

6/5/1 कविता पत्नी स्व. श्री इन्द्राज
6/5/2 रितिका पुत्री स्व. श्री इन्द्राज
6/5/3 अभिषेक पुत्र स्व. श्री इन्द्राज
} जाति बिश्नोई साकिन बारावाली (35 एम.एल.) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।

6/6 सावित्री पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्री सीताराम जाति बिश्नोई साकिन 18 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर –मृतक

6/6/1 कांता पुत्री श्री सीताराम पत्नी श्री धर्मपाल

6/6/2 सुमन पुत्री श्री सीताराम पत्नी श्री सतपाल जाति बिश्नोई साकिन 1 एल. एम. तहसील सूरतगढ़।

6/6/3 बलदेव पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोइ साकिन 18 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।

6/7 द्रोपती पुत्री श्री हेतराम पत्नी श्री लालचन्द्र जाति बिश्नोइ साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर–मृतक

6/7/1 मदन पुत्र श्री लालचन्द
6/7/2 दीपक पुत्र श्री लालचन्द्र
} जाति बिश्नोई साकिन 19 एन.पी. रायसिंहनगर।

6/8 मांगीलाल पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर–मृतक

6/8/1 गीता पत्नी स्व. श्री मांगीलाल जाति बिश्नोइ साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6/8/2 शकीना पुत्री स्व. श्री मागीलाल जाति बिश्नोई साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा– नाबालिग जरियें कुदरतीवली माता गीता पत्नी स्व. श्री मांगीलाल जाति बिश्नोई साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

7. गोमती पत्नी रायसाहब जाति बिश्नोई साकिन 26 बी.बी. तहसील पदमपुर।
8. देवीलाल पुत्र श्री मनफूल जाति बिश्नोई साकिन फकीरवाली तहसील पदमपुर।
9. आसमानी पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई साकिन 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।
10. सावित्री पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 टीके तहसील रायसिंहनगर।
11. बिरमा देवी बेवा राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर।
12. कुंता देवी पत्नी लुणाराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील पदमपुर।
13. सुभाष पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर।
14. सावित्री पुत्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन 70 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।
15. शारदा पुत्री रामनारायण पत्नी रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन ... तहसील सूरतगढ।
16. काली पुत्री रामनारायण पत्नी रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन ... तहसील सूरतगढ़।
17. अगूंरी पुत्री श्री रामनारायण पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसहिनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

...वली देवी पत्नी श्री रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन डाबला।
सीताराम पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर।
शिवरतन पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर।
राजेश पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन 2 जे. एम. तहसील रायसिंहनगर।
मायादेवी पत्नी सुभाष जाति बिश्नोई साकिन 2 पी.पी.एम. तहसील घड़साना।
विद्यादेवी पत्नी श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील सूरतगढ.।
रामचन्द्र पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
राजकुमार पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
मदन पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
विजय पाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
इन्द्रादेवी पुत्री श्री श्योनारायण पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला।
29. बेबी उर्फ विद्यादेवी पुत्री श्योनारायण पत्नी श्री पुरखाराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एन. पी. तहसील रायसिंहनगर।
30. कुन्दनलाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति बिश्नोई साकिन 4 टी.के. तहसील रायसिंहनगर।
31. श्रवण पुत्र श्री गंगाजल जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
32. दुलीचन्द्र पुत्र श्री गंगाजल जाति बिश्नोई साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 17.09.2014

उपस्थितअधिवक्तागण
1. रणवीरसिह बिश्नोई प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री राजाराम धारणियां अधि. अप्रार्थी सं. 1 ता 5 व 33
3. श्री नरेन्द्र भादू अधि. अप्रार्थी सं. 7 ता 13, 32
4. श्री राधेश्याम बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 19 ता 30
5. श्री सोहन वर्मा अधि. अप्रार्थी.सं. 14 ता 18

—: निर्णय :— दिनांक :—24.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण के दादा रामरख पुत्र रतिराम जाति बिश्नोई साकिन वाके चक 65 एल.एन.पी. बारांवाली को खसरा सं. 115/304 मु.नं. 52 में 3.163 है. नहरी, 120/306 मु.नं. 61 में 3.163 है. नहरी बारानी 119/306 मु.नं. 62 में 3. 162 है. नहरी मय रास्ता, 118/306 मु.नं. 63 में 3.035 है. नहरी मय खाला कुल 12.523 है. कृषि भूमि वाके चक 85 एल.एन.पी. थी जिस पर वे काबिज काश्त थे। उपरोक्त भूमि पर श्री रामरख की हर प्रकार के हक हकूक व उपयोग के अधिकार प्राप्त थे। उक्त भूमि को रामरख का परिवार काश्त करके उपयोग उपभोग कर रहा था। उक्त भूमि को परिवार की नवीन स्थिति परिस्थिति एवं सुगमता हेतु बंटवारा किया गया जिसके अनुसार सभी सदस्यों की सहमति से तकसीमनामा दिनांक 20.07.1972 तहरीर तकमील होकर उपपंजीयक से तस्दीक हुआ जिसके अनुसार विवादित भूमि को निम्नानुसार तकसीम किया गया। जिसमें नत्थुराम पुत्र रामराय को 6 बीघा 5 बिस्वा मु.नं. 26 (नया 61), निहालचन्द्र पुत्र रामनारायण को 6 बीघा 5 बिस्वा मु.नं. 26 (नया 61), दुलीप चन्द पुत्र श्री गंगाजल को 1 बीघा 5 बिस्वा मु.नं. 28 (नया 63) [illegible] दुलाराम पुत्र श्री गंगाजल को मु.नं. 17 (नया 52) में 6 बीघा 5 बि[illegible] श्रवण [illegible] गंगाजल को मु.नं. 17 (नया 52) में 6 बीघा 5 बिस्वा, प्रभुराम [illegible] 62) में 6 बीघा 5 बिस्वा, सुरेन्द्र पुत्र श्री रामनारायण को मु.नं. 27 (नया [illegible] 6 बीघा 5 बिस्वा। इस [illegible] गया। उक्त तकसीमनामा को नियमानुसार सब रजिस्ट्रार [illegible] से का इन्तकाल संबंधित विधिक तकसीमनामा से तकसीमनामा अनुसार [illegible] दर्ज किया गया। उपरोक्त हिस्सादार के नाम दिनांक 25.04.1973 को स्वीकृत [illegible] दर्ज किया गया। उपरोक्त हस्तान्तरण बाबत् हुये नामान्तरण के अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में किन्ही कारणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

...इन्द्राज नहीं हुआ और भूमि जमाबन्दी में रामरख के नाम निरन्तर रही है। रामरख का ... 09.09.1999 को देहान्त हो चुका है जमाबंदी में नाम परिर्वतन ना होने का लाभ ... हुये अप्रार्थीगण ने अधिकारी/कर्मचारियों से मिलकर भूमि का विरास्तन हिस्सानुसार ... नाम नामान्तरित करवा लिया और इस बाबत जमाबन्दियों में भी इन्द्राज हुये लेकिन ... ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं हो पाया। वर्तमान में कुछ समय पूर्व जल उपयोक्ता संगम ... सदस्यों हेतु चुनाव हुये और तब उक्त चुनाव हेतु मतदाता सुची बनाई गई। उक्त ... मतदाता सूची संबंधित क्षेत्र के कृषि क्षेत्र बाबत जमाबन्दियों में उल्लेखित काश्तकार के ... के अनुसार तैयार की जाती है। विवादित कृषि भूमियों में बाबत जमाबन्दियों में ... प्रार्थीगण का नाम होने से उक्त संबंधित मतदाता सूची में उनका नाम उल्लेखित हुआ ... तब प्रार्थीगण को उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ कि उनके नाम नामान्तरित भूमि का ... इन्द्राज जमाबंदियों में नही हुआ है और भूमि रामरख के नाम ही दर्ज होती रही है और ... रामरख की मृत्यु पश्चात भूमि का नामान्तरण अप्रार्थीगण के नाम होकर तदनुसार जमाबन्दी ... इन्द्राज हुआ है। रामेश्वरी का देहान्त हो चुका है। अप्राथी नं. 7 ता 12 उसके वारिस ... है। जमाबन्दी में उक्त प्रकार से दर्ज इन्द्राज गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त प्रकार से ... गलत इन्द्राज करवा पाने का अधिकार नहीं था बल्कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 32 ही ... पूर्ववर्ती नामान्तरण आदेश 25.04.1973 के अनुसार जमाबन्दी में इन्द्राज किया जाना आवश्यक था। उपरोक्तनुसार अब प्रार्थीगण जमाबन्दियों में उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवा पाने एवं पूर्ववर्ती नामान्तरण इन्द्राज अनुसार जमाबन्दी में अपने नाम इन्द्राज करवा पाने के विधिक अधिकारी हैं। पूर्ववर्ती नामान्तरण इन्द्राज अनुसार भूमि का कब्जाकाश्त प्रार्थीगण के पास ही निरन्तर आज तक हैं। पूर्ववर्ती नामान्तरण आदेश व इन्द्राज को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान तक कभी भी अपास्त अथवा समाप्त नहीं किया। जमाबन्दियों में नामान्तरण इन्द्राज गलत होने के तथ्य का ज्ञान होने के पश्चात के पश्चात प्राथीगण ने अप्राथीगण से सम्पर्क कर विवादित भूमि का नामान्तरण पूर्ववर्ती नामान्तरण अनुसार जमाबन्दियों में करवाये जाने की कार्यवाही हेतु कहा गया मगर प्रथमतय टालमटोल के पश्चात अन्तत। द्वितीय सप्ताह महा अगस्त वे प्रार्थीगण की किसी भी बात मानने से इन्कार हो गये एवं यह स्पष्ट धमकी दी कि वे प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त से बेदखल कर देगे और भूमि को जमाबन्दी में इन्द्राज के आधार पर किसी अन्य को हस्तान्तरित एवं अन्तरित कर देगें। प्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा हेतु यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। प्रार्थीगण वांछित अनुतोष प्राप्ति के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य वैधानिक नहीं हैं। प्रार्थीगण का वाद उनके पक्ष में प्रथम दृष्टिया सिद्व है। पूर्ववती नामान्तरण आदेश अनुसार हिस्सेदारान प्रार्थीगण को आई हिस्सा की भूमि पर उनका एकल व स्वतंत्र रूप से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। मूल वाद में समय लगना अपेक्षित है यदि इस दौरान उन्हे अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से बेदखल कर देते है अथवा भूमि अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा अन्तरित करते है तो प्रार्थीगण के साथ गैरइन्साफी होगी, उन्हे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा बिला वजह मुकदमे बाजी बढ़ेगी। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद लम्बन दौरान इस आश्य का अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार के बेजा मखालफत करने से बाज व ममनू रहे एवं विवादित भूमि को जमाबन्दी में उनके नाम होने के आधार पर किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तान्तरित व अन्तरित ना करें। अतः वाद प्रार्थीगण बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से अस्थाई व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य का घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वाद लम्बन दौरान इस आश्य का अस्थाई व्यादेश जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार के बेजा मखालफत करने से बाज व ममनू रहे ... को जमाबंदी में उनके नाम होने के आधार पर किसी अन्य को किसी ... से हस्तान्तरित व अन्तरित ना करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर ... रजिस्टर्ड ... जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 13 की तरफ से श्री नरेन्द्र भादू ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उ... तथ्या इस प्रकार की है कि रामरख पुत्र रतीराम के नाम चक 85 एल.एन.पी में मु.नं. 52–61–62–63 मे कुल 12.523

उपखण्ड अधिकारी
ग्रामसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

भूमि नहरी/ बारानी दर्ज है रामरख के कुल 7 सात जायज वारिस जिसमें 4 लडकिया 3 लड़के थें इस प्रकार प्रत्येक वारिससान का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा था जिसमें से अप्रार्थीगण को माता रामेश्वरीदेवी के कानूनी वारिस छः है इस प्रकार प्रत्येक वारिसान उक्त 1/7 हिस्सा में 1/6 हिस्सा प्रत्येक का है। जो अप्रार्थीगण विधिक रूप से पाने अधिकारी है। कोई तकसीमनामा बनाया गया है वह गलत बनाया गया है जो प्रभावहीन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रामरख के जायज वारिसान के नाम दर्ज है। रामरख के उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकोल रामरख के वारिसान के नाम से दर्ज किया गया है कानूनी प्रकिया के तहत किया गया है यदि इस नामान्तकरण से प्रार्थीगण को कोई व आपत्ति है तो उसके विरूद्व नियमानुसार अपील/निगरानी की जानी थी जो प्रार्थीगण द्वारा नही की गई है जो कार्यवाही की गई है व काबिले निरस्त हैं मोका पर भूमि कब्जा रामरख के वारिसान का है और प्रार्थीगण स्थगन की आड़ मे अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। यदि प्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो अप्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति का मुल्याकांन रूपयों में नही आंका जावेगा। प्रार्थीगण कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 33 की तरफ से श्री राजाराम आरणियां अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि श्री रामरख की स्वयं पैदाकर्ता जायदाद थी। विवादित भूमि बाबत् कोई तकसीमनामा निष्पादित नहीं करवाया गया था तथा ना ही उक्त विवादित भूमि का कोई बंटवारा ही किया गया था तमाम तथ्य प्रार्थीगण ने महज प्रार्थना पत्र को बल देने के लिए झूठे लिखे है ऐसे किसी तकसीमनामा के आधार पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं बनता हैं। विवादित भूमि रामरख के ही नाम थी तथा उनक`देहान्त के पश्चात यह भूमि उनके जायज व कानूनी वारिसान में निहित हुई ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कोई वाद व प्रार्थना पत्र. पेश करने के कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण को कोई क्षति संभावित है तथा प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के हैं प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में झूठी कार्यवाही कर तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर अपना अनधिकृत कब्जा करना चाहते है। उक्त भूमि स्वर्गीय श्री रामरख के नाम से उक्त मुरब्बाजात में 12. 523 है. भूमि उनकी स्वय पैदाकर्ता भूमि थी जिसमे से उन्होने अपने नाम की चक 85 एल. एन.पी. व 15 एन.डब्ल्यू.डी की 42.10 बीधा भूमि की वसीतय अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रभूराम, दलीपकुमार पूराराम के नाम से करवा दी थी तथा शेष रही विवादित भूमि श्री रामरख के देहान्त के पश्चात उनके जायज वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 दलीपकुमार व पराराम ने अपना अपना विरास्तन हक जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.02.2012 व 24.07.2012 को मुझ अप्रार्थी संख्या 1 प्रभूराम के पक्ष में छोड़ दिया । इस प्रकार मुझ अप्रार्थी संख्या 1 प्रभूराम के पास उक्त विवादित भूमि में 4. 617 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 33 श्रवण ने इस विवादित भूमि यानि 7. 906 है. की 1/7 हिस्सा की खातेदार जानी जिसका 1.129 है. हिस्सा बनता है को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.09.2014 को व रामचन्द्र–राजकुमार व मदनलाल पि. शिवनारायण से 1/7 हिस्सा में 3/7 हिस्सा यानि 0.484 है. जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.09.2014 को खरीद की इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 33 श्रवण की इस विवादित भूमि में 1.129 है. का मालिक है जिस भूमि के हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 व 33 क्रमशः प्रभूराम, गंगाजल व श्रवण उपरोक्तानुसार मालिक है व काबिज है इसलिए उक्त भूमि का हम अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया [illegible] है तथा बाद खातेदार घोषित किए जाने के बाद इस भूमि में हम अप्रार्थीगण भूमि की कि[illegible] अच्छी से अच्छी व खराब भूमि का विभाजन करवाकर राज[illegible]लग अमल दरामद करवाने के विधिक अधिकारी है जिसकी [illegible] दावा क[illegible] क्लेम पेश किया किया जा चुका है। विवादित भूमि [illegible] स्वयं पैदाकर्ता भूमि थी जिनमें उनकों हर प्रकार के हक हकूक [illegible] ऐसा कोई तकसीमनामा आरम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्व है जिस पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते प्रार्थीगण का वाद पत्र. व प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत होने के कारण काबिल खारिजी के है। उक्त वाद में व्यादेश का अनुतोष साम्य के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

पर आधारित है वह यह अपेक्षा करता है कि न्यायालय की शरण में आने वालों हाथों से एवं शुद्ध अन्तकरण के साथ आना चाहिए लेकिन प्रार्थीगण ने इस की सम्पति हड़प करने के लिए मिथ्या कार्यवाही कर उक्त सम्पति का बंटवारा की है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण कोई आदेश अधिकारी नहीं है अपितू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति सिद्धान्त हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वर्तमान सूरत में खारिज फरमाया जाकर खर्चा जवाबदेही दिलाया जावे। श्री राधेश्याम बिश्नोई अधि. सं. 19 ता 30 व श्री सोहन वर्मा अधि. अप्रार्थी सं. 14 ता 18 की तरफ से नामा पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया।

पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति रामरख के देहान्त दिनांक 09 1990 के बाद विरासतन उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है व तकसीमनामा में भूमि नियमानुसार सब रजिस्ट्रार रायसिंहनगर से तस्दीक होकर तकसीमनामा प्राप्त हुये हिस्से का इन्तकाल संबंधित हिस्सेदार के नाम दिनांक 25.04.1973 को होकर दर्ज हुआ है जिसमें सभी हिस्सा वारिसान के नाम दर्ज है मूल विवाद खाता विभाजन से संबंधित है जिसमे अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व यथा तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण का अधिकार है उक्त भूमि रामरख की खुद काश्तकर्ता होने के कारण प्राप्त थें। विवादित भूमि बाबत कोई तकसीमनामा निष्पादित नहीं करवाया गया था तथा ना ही उक्त विवादित भूमि का कोई बंटवारा किया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दष्टया खारिज योग्य है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि वाके चक 85 एल.एन.पी. बारांवाली को खसरा सं. 115/304 मु.नं. 52 में 3.163 है. नहरी, 120/306 मु.नं. 61 में 3.163 है. नहरी बारानी 119/306 मु.नं. 62 में 3.162 है. नहरी मय रास्ता, 118/306 मु.नं. 63 में 3.035 है. नहरी मय खाला कुल 12.523 है नहरी भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति है इस मे प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है उक्त वाद मे खाता विभाजन किया जाना है इन बिन्दूओ का निस्तारण मूलवाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य व मौका कब्जा काश्त की रिपोर्ट के बाद ही किलाबार का विवरण लिया जाकर मूल वाद का निर्णय मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से है। जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थी को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी जाती है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिस ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ मे नहीं आकी जा सकती। तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके चक 85 एल.एन.पी. बारांवाली को खसरा सं. 115/304 मु.नं. 52 में 3.163 है. नहरी, 120/306 मु.नं. 61 में 3.163 है. नहरी बारानी 119/306 मु.नं. 62 में 3.162 है. नहरी मय रास्ता 118/306 मु.नं. 63 में 3.035 है. नहरी मय खाला कुल 12.523 है.भूमि में से अप्रार्थीगण प्रभुराम पुत्र गंगाजल के नाम खाता संख्या 79/62 के हक ... सहदायगी संपत्ति को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें ... मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थीगण ... दिनांक 17.09.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद ... किया जाता है पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner